# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

//आदेश//

क्रमांक/272/रीडर/जि0दण्डा/2021, जगदलपुर, दिनांक 04/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणो की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 264/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 13/04/2021 सहपठित आदेश क्रमांक 266/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 17/04/2021, एवं आदेश क्रमांक 268/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 20/04/2021 एवं कार्यालय के आदेश क्रमांक/270/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर, दिनांक 24/4/2021 के द्वारा बस्तर जिला अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 6/05/2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए जिला बस्तर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बस्तर जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधो एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। दक्षिण भारत के राज्य आंध्रप्रदेश मे कोरोना के नये घातक वेरियन्ट/स्ट्रेन के पता लगने के कारण कंटेनमेन्ट जोन की अवधि बढ़ाया जाना एवं पूर्व मे समय–समय पर जारी प्रतिबंधो मे छूट दिया जाना भी आवश्यक हो गया है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है । जिससे सम्पूर्ण बस्तर जिले में कंटेनमेन्ट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 264/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 13/04/2021 सहपठित आदेश क्रमांक 266/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 17/04/2021, एवं आदेश क्रमांक 268/रीडर/ जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर दिनांक 20/04/2021 एवं आदेश क्रमांक/270/रीडर/जि0दण्डा0/2021, जगदलपुर, दिनांक 24/4/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं रजत बंसल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. बस्तर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 16/05/2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेन्ट जोन रहेगा।
2. दिनांक 16/05/2021 रात्रि 12.00 बजे तक बस्तर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
3. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल,मेडिकल दुकाने,क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानो को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए। टोकन सिस्टम के साथ ताकि एक ही दिन में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाये। हितग्राहियों/लाभर्थियों को राशन वितरण किया जायेगा । खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
5. **सभी प्रकार की मंडियॉ/बाजार तथा थोक दुकाने आम नागरिको के लिए बंद रहेगी ।**
6. केवल पारा/मोहल्ले मे स्थित किराना दुकाने, ,आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध,डेयरी और डेयरी उत्पाद की दुकानो को प्रातः 6.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक

Scanned with CamScanner

खोलने की अनुमति रहेगी । दुकान संचालक होम डिलवरी को प्राथमिकता देगें । मॉल **एवं सुपर मार्केट पूर्ववत बंद रहेगें ।** आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक दी जाती है ।

7. बीज/उर्वरक/कीटनाशक/कृषि यत्रों एवं मरम्मत की दुकाने एवं गोदाम प्रातः 6.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। दुकान संचालक होम डिलवरी को प्राथमिकता देगें।

8. फल, सब्जी, प्रातः 6.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक–अप/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा । स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई–कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन,फिलपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें। उपरोक्तानुसार होटलों, रेस्टोरेंटस,बेकरी एवं मिठाई की दुकानो से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन एवं स्वयं के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहको के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । भीड–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंटस को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी । इस व्यवस्था में सलंग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । किसी दुकान में/होक डिलीवरी के दौरान भीड़–भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा । संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें । उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जप्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी ।

9. पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोलने की अनुमति रहेगी ।

10. गैस एजेंसियों को उनके निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति रहेगी । गैस एजेंसियां होम डिलवरी को प्राथमिकता देगें ।

11. अत्यावश्यक परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/ऑटोपार्टस/गैरेज/टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा/रेस्टोरेन्ट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यो एवं आवश्यक सामग्रियों के विकय की दुकाने (यथा अंतिम संस्कार के कार्यो से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।

12. न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.30 बजे से संध्या 08.00 बजे तक होगी।

13. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

14. इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर, एसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए दुकाने प्रातः 6.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खोले जा सकेगें । यह स्पष्ट किया जाता है कि एसी,पंखे,कूलर की दुकाने विकय के लिए नही खोली जा सकेंगी, परन्तु होम डिलवरी की अनुमति होगी ।

15. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों के ... व अन्य आवश्यक व्यवस्था करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,लो0नि0वि0,लो0स्वा0यां0,वन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, द्वारा किये जा रहे कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन कार्यो मे कार्यरत मजदूर कार्य स्थल मे रहकर कार्य सम्पादित करेगें ।

16. सभी बाजार,होटल एवं रेस्टोरेंट (होम डिलवरी को छोड़कर) मैरीज हाल, माल, क्लब,स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कालेज ( स्कूल विद्यार्थियों के लिए) पान एवं सीगरेट ठेला, शराब दुकाने,सैलुन,पार्क,चलित भोजनालय,ठेला,जीम, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अन्त्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। विवाह कार्यक्रम,अन्त्येठि,दशगात्र,इत्यादि मृत्यु संबंधी संस्कारो के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार की सभा, जूलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

17. पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाऐं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

18. उपरोक्त अवधि में बस्तर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक/निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाऐं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/ वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानो में खाद्यान्नो की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम खोले जाने की अनुमति होगी । अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हे भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

बैंको/पोस्ट आफिसो के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान को–मार्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए 50 प्रतिशत बैंक कर्मियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक/शाखाऐं प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक संचालित होगी। बैंक केवल व्यापारिक एवं व्यावसायिक लेनदेन, एटीएम कैश रि–फिलिंग मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसीन, पेट्रोल/डीजल पम्प, एलपीजी, पीडीएस/केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारो संबंधी लेन–देन, उद्योगो के व्यापारिक लेन–देन/श्रमिको के भुगतान, मेडिकल आक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन–देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन–देन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों के विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

19. उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉक डाउन अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।

20. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः

Scanned with CamScanner

माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/ पोस्टल/ टेलीकॉम/ एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/ चिकित्सको/निजी अस्पतालों में कार्यरत् चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/ चिन्हांकित वालेन्टियर्स की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा, तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे। बस्तर संभाग के पड़ोसी राज्य मे कोविड के नये स्ट्रेंन आने के कारण रेल/बस/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले यात्रियों का कोविड–19 जांच अनिवार्य होगा।

22. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। टीकाकरण के विरूद्ध अफवाह फैलाने एवं कोरोना जांच मे सहयोग नही करने वाले यात्रियों/व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जावेगी ।

23. कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

24. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

25. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना/पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। **स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्री कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति एवं टोकन प्रणाली के साथ खोलने की अनुमति होगी** । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

26. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

27. कोरोना से बचाव के शर्तो के अधीन ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यो के संचालन की अनुमति रहेगी। वन विभाग द्वारा संचालित कार्यो में संलग्न श्रमिको को कार्य की अनुमति होगी।

28. जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोराना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशो के तहत एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को सीमित समय तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी।

Scanned with CamScanner

पेट्रोल पम्प एवं होम डिलवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकाने रविवार को बंद रहेंगी ।

30. उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बस्तर

पृ.क्रमांक/273/रीडर/जि0दण्डा0/2021 जगदलपुर, दिनांक 04/05/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज की ओर सादर सूचनार्थ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ।
9. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बस्तर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व तहसीलदार, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बस्तर

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी

Scanned with CamScanner